Think IAS...

दृष्टि The Vision

Think Drishti

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC)

भारत और विश्व

(भाग-2)

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम *(Distance Learning Programme)*

Code: UPM06

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC)

भारत और विश्व

(भाग–2)

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501
टोल फ्री : 1800-121-6260
Web : www.drishtiIAS.com
E-mail : online@groupdrishti.com

पाठ्यक्रम, नोट्स तथा बैच संबंधी updates निरंतर पाने के लिये निम्नलिखित पेज को "like" करें
www.facebook.com/drishtithevisionfoundation
www.twitter.com/drishtiias

विषय सूची (Contents)

6. भारत का विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध 5-118

6.1 भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका 5

6.2 भारत-रूस संबंध 23

6.3 भारत-जापान संबंध 40

6.4 भारत-अफ्रीका संबंध 57

6.5 भारत-फ्राँस संबंध 71

6.6 भारत-ब्रिटेन संबंध 82

6.7 भारत-ब्राज़ील संबंध 96

6.8 भारत-मालदीव संबंध 103

7. भारत-क्षेत्रीय तथा वैश्विक समूह 119-146

7.1 क्षेत्रीयकरण की प्रवृत्ति और क्षेत्रीय संगठनों का उभरना 119

7.2 दक्षिण एशिया का भू-राजनीतिक इकाई के रूप में उद्भव 120

7.3 भारत एवं क्षेत्रीय समूह 121

7.4 भारत एवं वैश्विक समूह 135

8. संयुक्त राष्ट्र संघ 147-167

8.1 संयुक्त राष्ट्र संघ : संरचना एवं संगठन 147

8.2 भारत-संयुक्त राष्ट्र संघ 156

8.3 वर्तमान परिदृश्य तथा भारत की संयुक्त राष्ट्र में वर्तमान सक्रियता 162

9. भारत से संबंधित और भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार **168-185**

9.1 राजनीतिक, रणनीतिक एवं सांस्कृतिक करार 168

9.2 आर्थिक एवं व्यापारिक करार 170

9.3 सैन्य एवं परमाणु करार 173

9.4 अन्य करार 184

10. प्रवासी भारतीय **186-201**

10.1 आप्रवासी भारतीय और उनकी वैश्विक उपस्थिति 186

10.2 भारत एवं आप्रवासी भारतीयों पर विभिन्न देशों की नीतियों का प्रभाव 187

10.3 आप्रवासी भारतीयों के संबंध में भारत की नीतियाँ एवं वर्तमान परिदृश्य 189

11. महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएँ और मंच-उनकी संरचना, अधिदेश **202-245**

12. क्षेत्रीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के समसामयिक घटनाक्रम **246-266**

12.1 राष्ट्रीय घटनाक्रम 246

12.2 अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम 256

12.3 उत्तर प्रदेश समसामयिक (क्षेत्रीय-प्रांतीय) 260

12.4 उत्तर प्रदेश में सम्मेलन उद्घाटन 264

अध्याय 6

भारत का विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध (India's Bilateral Relations with Various Countries)

अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मूल में देशों के द्विपक्षीय संबंध का सर्वाधिक महत्त्व है। द्विपक्षीय संबंध अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दशा एवं दिशा का निर्धारण करते हैं। भारत का विभिन्न देशों के साथ बढ़ता द्विपक्षीय संबंध अंतर्राष्ट्रीय राजनय में भारत के बढ़ते कद का प्रमाण है।

6.1 भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका *(India and The United States of America)*

द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद संसार में दो महाशक्तियों ने शीतयुद्ध को जन्म दिया और विश्व को दो शक्ति गुटों में विभाजित कर दिया। ये दो महाशक्तियाँ थीं– संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। लगभग उसी समय जब दोनों शक्ति गुटों में शीतयुद्ध ने गति पकड़ी, भारत ब्रिटिश उपनिवेशवाद से स्वतंत्र होकर एक नवोदित राष्ट्र के रूप में राजनीतिक क्षितिज पर प्रकाशमान हुआ।

स्वाभाविक था कि सभी के साथ मित्रता करने के प्रयासों में भारत ने न केवल ब्रिटेन के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे वरन् दोनों महाशक्तियों के साथ भी मधुर संबंध विकसित करने का प्रयत्न किया। संसार के दो विशाल लोकतांत्रिक देश होने के नाते भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में मित्रता की अपेक्षा की गई। दोनों देश संबंध सामान्य बनाने के प्रयास भी करते रहे, परंतु भारत-अमेरिका के बीच आपसी संबंधों में उतार-चढ़ाव आते रहे।

भारत-अमेरिका संबंधों में अमेरिका द्वारा भारत को कभी भी उच्च प्राथमिकता नहीं दी गई। 1962 में चीन द्वारा भारत पर किये गए आक्रमण ने अमेरिका की नीतियों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया। उसके पश्चात् भारत के प्रति अमेरिका की नीति में कुछ परिवर्तन हुआ, परंतु अमेरिका ने अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखा और भारत को एक अधीनस्थ देश का दर्जा दिया, न कि समकक्ष का। उसने भारत के दृष्टिकोण को समझने और उसके राष्ट्रीय हितों पर ध्यान देने का प्रयास नहीं किया। अमेरिका ने भारत की गुटनिरपेक्षता को सोवियत-समर्थक नीति समझा। पूर्व में भारत-अमेरिकी संबंध को 'अमैत्रीपूर्ण मित्रों का संबंध' कहा गया।

शीतयुद्ध के समय भारत-अमेरिका संबंध *(Indo-US Relations During the Cold War)*

स्वतंत्र भारत का उदय लगभग उसी समय हुआ, जब संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भूतपूर्व सोवियत संघ महाशक्तियों के रूप में उभर रहे थे। इन दोनों देशों को अपनी-अपनी विचारधारा और सामाजिक व्यवस्था में इतनी अधिक आस्था थी कि वे एक-दूसरे को शंका की दृष्टि से देखते थे। उन दोनों ने कई पृथक् शक्ति गुट स्थापित किये। इनमें अमेरिका के नेतृत्व में गठित उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (North Atlantic Treaty Organisation – NATO), दक्षिण-पूर्व एशिया संधि संगठन (South-East Asia Treaty Organisation – SEATO), मध्य-पूर्व संधि संगठन (Central Treaty Organization – CENTO)/ (Middle East Treaty Organization – METO) तथा सोवियत नेतृत्व वाला वारसा समझौता (Warsaw Pact) प्रमुख थे। भारत ने किसी भी गुट में शामिल न होकर स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने का निर्णय किया। जवाहरलाल नेहरू ने सभी देशों के साथ मैत्री की नीति अपनाई। भारत ने अपने आर्थिक विकास के लिये कहीं से भी बिना शर्त मिलने वाली सहायता को स्वीकार करना आरंभ किया। नेहरू की नीति का आधार था- निर्णय करने की स्वतंत्रता। यह नीति गुटनिरपेक्षता की नीति कहलाई। भारत-अमेरिका संबंध दोनों देशों की परस्पर विरोधी नीतियों से प्रभावित हुए। गुटनिरपेक्षता का अर्थ कभी भी यह नहीं था कि भारत विश्व राजनीति में सक्रिय भूमिका नहीं निभाएगा। भारत ने दोनों महाशक्तियों के मध्य संतुलित आचरण करने का प्रयास किया है। यद्यपि उसे सदैव इसमें सफलता नहीं मिली।

भारत-अमेरिकी संबंधों में सबसे महत्त्वपूर्ण निर्धारक तत्त्व थे- भारत का तीन देशों- पाकिस्तान, चीन और भूतपूर्व सोवियत संघ के साथ उसके संबंधों का स्वरूप तथा सामान्य रूप से एशिया और अफ्रीका के प्रति भारत की नीति। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कुछ समय तक भारत ने अमेरिका के साथ घनिष्ठ संबंधों का विकास किया। भारत के नेताओं ने अमेरिका द्वारा

- इस उपग्रह (संचार उपग्रह) के माध्यम से संचार, सुशासन, बैंकिंग, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, मौसम की भविष्यवाणी आदि की सुविधा मालदीव को नि:शुल्क प्राप्त होगी जो भारत की 'पड़ोसी प्रथम' की नीति को सशक्त करेगा।
- मालदीव के राष्ट्रपति गयूम के शब्दों में, "मुझे दृढ़ विश्वास है कि हम लोग अपने मतभेदों को दूर कर अपने लोगों की आशाओं एवं उम्मीदों को मिलकर पूरा करने में सक्षम होंगे।"
- यह उपग्रह मालदीव के लिये विशेष रूप से उपयोगी है क्योंकि अभी भी उसके पास अंतरिक्ष कार्यक्रम की क्षमता अत्यंत प्रारंभिक अवस्था में है या ना के बराबर है।

परीक्षोपयोगी महत्त्वपूर्ण तथ्य

- अमेरिका ने ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से खुद को अलग कर लिया। इस समझौते पर अन्य 11 देशों ने हस्ताक्षर किये तथा इसे 'कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (CPATPP) नाम दिया गया है।
- भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका की वायु सेना के बीच 12-दिवसीय संयुक्त अभ्यास 'Ex Cope-India- 2018' का आयोजन पश्चिम बंगाल में किया गया।
- अमेरिका से भारत को पहला तरलीकृत प्राकृतिक गैस कार्गो मार्च 2018 में प्राप्त हुआ। इसमें 1.2 लाख टन गैस कार्गो शामिल था, जिसे महाराष्ट्र के दाभोल टर्मिनल पर उतारा गया।
- संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को प्रतिबंधों से बाहर रखते हुए ईरान में चाबहार बंदरगाह के विकास हेतु छूट प्रदान की है।
- भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास 'युद्ध अभ्यास-2018' का आयोजन चौबतिया (उत्तराखंड) में किया गया।
- उत्तर-स्टालिन युग में भारत सोवियत संघ संबंधों पर टिप्पणी करते हुए एम.सी. चागला ने कहा था, "सोवियत संघ संकट के दिनों में हमारा मित्र सिद्ध हुआ है, जो संकट के समय में मित्र होता है, वही वास्तविक मित्र होता है।"
- 1955 में सोवियत संघ ने स्पष्ट कहा था कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है।
- 1961 में भारत ने जब सशस्त्र सेनाओं द्वारा पुर्तगाली नियंत्रण से गोवा को मुक्त करवाया तब सोवियत संघ ने भारत का समर्थन किया।
- 1979 में अफगानिस्तान में सोवियत सैनिक हस्तक्षेप के साथ ही नव-शीतयुद्ध आरंभ हो गया।
- 1986 में राजीव गांधी तथा गोर्बाचेव ने दिल्ली घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किये।
- मई 1997 में पेरिस सम्मेलन के दौरान स्वयं बोरिस येल्त्सिन ने नोटो-रूस संस्थापना अधिनियम पर हस्ताक्षर किये।
- 8 नवंबर, 2015 को 14 दिवसीय सातवाँ भारतीय-रूस संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास आईएनडीआरए-2015 महाजन फील्ड फायरिंग रेंज (राजस्थान) में शुरू हुआ।
- 24 दिसंबर, 2015 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच 16 समझौतों पर हस्ताक्षर किये गए।
- रूस की सबसे बड़ी गैस कंपनी (गाज़प्रोम) तथा भारतीय तेल और -गैस कंपनियों के नेतृत्व में इस 'ऊर्जा सेतु' के निर्माण के लिये एक संयुक्त कार्यकारी-दल का भी गठन किया गया।
- रूस के साथ कोमोव 226 हेलीकॉप्टर बनाने संबंधी समझौता हुआ है, वह मेक इन इंडिया के तहत पहली बड़ी-रक्षा परियोजना है।
- दिसंबर 2018 में भारत एवं जापान के बीच प्रथम द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास 'शिन्यू मैत्री-18' (SHINYUU Maitri-18) का आयोजन आगरा के वायु सेना स्टेशन में किया गया।
- तुर्गा जलविद्युत परियोजना के विकास के लिये भारत ने जापान के साथ 1817 करोड़ रुपए के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है।

- भारत एवं जापान के मध्य प्रथम सैन्य अभ्यास 'धर्मा गार्जियन-2018' का आयोजन नवंबर 2018 में वैरेंग्टे (मिज़ोरम) में किया गया।
- भारत एवं जापान के मध्य तीसरे समुद्री अभ्यास 'जिमेक्स-18' का आयोजन अक्टूबर 2018 में विशाखापत्तनम में किया गया।
- संचार मंत्रालय के अंतर्गत डाक विभाग ने भारत और जापान के बीच 'कूल ईएमएस' (Cool EMS) सेवा की शुरुआत की है जिसका उद्देश्य भारत में रहने वाले जापानी लोगों को जापानी खाद्य पदार्थों के आयात की सुविधा उपलब्ध कराना है।
- भारत को अफ्रीकी संघ में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है।
- 21-22 जनवरी, 2016 को नई दिल्ली में चौथी भारत-अफ्रीका हाइड्रोकार्बन सम्मेलन का आयोजन किया गया।
- भारत सरकार द्वारा 31 मार्च, 2002 को अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से 'फोकस अफ्रीका कार्यक्रम' की शुरुआत की गई थी।
- चीन की अफ्रीका में सक्रियता 1955 में बांडुंग में हुए प्रथम एफ्रो-एशियाई सम्मेलन के बाद शुरू हुई थी।
- भारत ने हिंद महासागर में सेशेल्स की निगरानी व गश्त की क्षमता को बढ़ाने के लिये उसकी नौसेना को जहाज़ आई.एन.एस. तरासा तथा एक डोर्नियर-228 समुद्री खोजी विमान भेंट स्वरूप दिया है।
- फ्राँस भारत को परमाणु ईंधन के सबसे बड़े आपूर्तिकर्त्ताओं में से एक है। फ्राँस, भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता और नाभिकीय आपूर्तिकर्त्ता समूह में सदस्यता के दावे का समर्थन भी करता है।
- फ्राँस उन कुछ गिने-चुने राष्ट्रों में शामिल था जिन्होंने वर्ष 1998 में भारत के परमाणु परीक्षणों की निंदा नहीं की थी। वह अमेरिका के बाद पहला ऐसा देश था जिसके साथ भारत ने 2008 में नागरिक परमाणु सहयोग पर समझौता किया था।
- भारत एवं फ्राँस द्वारा वर्ष 2009 में महाराष्ट्र के जैतापुर में कुल 9900 मेगावाट (1650×6) के 6 परमाणु रिएक्टर निर्माण करने हेतु समझौता ज्ञापन किया गया था।
- फ्राँस पहला देश था जिसके साथ भारत ने 1998 में परमाणु परीक्षणों के बाद 'वरुण' नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया।
- फ्राँस ने परमाणु अप्रसार संधि (NPT) पर सन् 1992 में हस्ताक्षर किये परंतु भारत ने अभी तक इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं।
- ब्रिटेन भारत एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों को खुला, स्थिर या निम्न कार्बन आधारित न्यायसंगत अर्थव्यवस्था बनाने हेतु सहयोग कर रहा है।
- अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिये ब्रिटेन के रक्षा विज्ञान एवं तकनीकी प्रयोगशाला तथा भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के बीच रक्षा से संबंधित कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास के लिये संपर्क स्थापित किया गया है।
- भारत एवं ब्रिटेन के बीच नागरिक परमाणु सहयोग संबंधी घोषणा-पत्र के अंतर्गत 11 फरवरी, 2010 को समझौता किया गया था।
- भारत और ब्रिटेन की थल सेनाओं के बीच 'अजेय वॉरियर-2015' नामक संयुक्त अभ्यास ब्रिटेन के वेस्टडाउन कैंप में आयोजित किया गया।
- भारत एवं ब्रिटेन के बीच विज्ञान एवं तकनीकी सहयोग की शुरुआत 1996 में विज्ञान एवं तकनीकी सहयोग समझौता संपन्न होने के साथ ही हो गई थी।
- सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा से 10 जुलाई, 2015 को ब्रिटेन के पाँच उपग्रहों के साथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने पीएसएलवी-सी 28 का सफल प्रक्षेपण किया।
- 2008 में भारत-ब्रिटेन शिक्षा मंच की स्थापना के साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बल प्राप्त हुआ है।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने 7 नवंबर, 2016 को नई दिल्ली में भारत-ब्रिटेन प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन की संयुक्त रूप से शुरुआत की।

- प्रधानमंत्री थेरेसा मे के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी अतिथि के रूप में अप्रैल 2018 में ब्रिटेन की यात्रा की।
- वर्ष 2030 तक गरीबी उन्मूलन तथा विकास को गति देने के लिये भारत और ब्रिटेन दोनों देश अपने साझा प्रयासों को और सशक्त बनाएंगे।
- जब गोवा के मुद्दे पर भारत एवं पुर्तगाल के बीच राजनयिक संबंध टूट गए तो ब्राज़ील ने नई दिल्ली में पुर्तगाली हितों की रक्षा का कार्य सँभाला।
- स्वयं ब्राज़ील अप्रसार संधि का हस्ताक्षरकर्त्ता देश है और वह परमाणु शस्त्रों के निर्माण से दूरी बरतता रहा है।
- 24 अक्टूबर, 2016 को भारतीय मानक ब्यूरो म्यूजिक रिकॉग्निशन में सहयोग के लिये ब्राज़ील एसोसिएशन ऑफ टेक्निकल नॉर्म के बीच एक समझौता किया गया।
- भारत ने मर्कोसुर समझौते पर 2004 में हस्ताक्षर किये थे, जो 1 जून, 2009 को लागू हुआ था।
- भारत ने 2013 में नई दिल्ली में 20वें अंतर्राष्ट्रीय अभियांत्रिकी एवं तकनीकी मेला में ब्राज़ील को फोकस देश के रूप में भाग लेने के लिये आमंत्रित किया था।
- भारत एवं ब्राज़ील के बीच 2012-14 के लिये सांस्कृतिक विनिमय के लिये कार्यकारी कार्यक्रम हेतु हस्ताक्षर किये गए।
- भारत-मालदीव में राजनयिक संबंधों की स्थापना वर्ष 1965 में हो गई थी और इसी वर्ष मालदीव स्वतंत्र भी हुआ था।
- भारतीय सेना और माले राष्ट्रीय रक्षा बल ने मालदीव में दिसंबर 2016 के दौरान इकुवेरिन नामक एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का 7वाँ संस्करण संपन्न किया।
- मालदीव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की उम्मीदवारी का समर्थन किया है।
- 16-18 दिसंबर को मालदीव के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर रहे, जो पद-ग्रहण के पश्चात् उनकी पहली विदेश यात्रा थी।
- मालदीव में हुए हालिया चुनाव में मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार इब्राहिम मोहम्मद सोलेह ने पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को हराकर जीत हासिल की है।

अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

1. भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 'रणनीतिक भागीदारी' क्या है? दोनों भागीदारों के लिये इसके निहितार्थ क्या हैं?
2. भारत-यू.एस. सैनिक सहयोग के बारे में लिखिये।
3. हिंद महासागर क्षेत्र में भारत-अमेरिका की साझी रणनीति को स्पष्ट करें।
4. भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंध के सहयोग एवं मतभेद के मुद्दों को रेखांकित करें।
5. भारत-रूस रक्षा संबंध पर टिप्पणी लिखिये।
6. बदलते परिदृश्य में भारत-रूस के बीच बढ़ते सौहार्द्रपूर्ण रिश्तों की चर्चा करें।
7. शीतयुद्ध के दौरान एवं बाद में भारत के साथ रूस की सामरिक परिप्रेक्ष्यों की समालोचनात्मक व्याख्या कीजिये।
8. 21वीं सदी में रूस के साथ भारत के हित को चिह्नित करें।
9. 'एशिया-प्रशांत क्षेत्र में भारत-जापान के हित परस्पर पूरक हैं,' इस कथन का परीक्षण करें।
10. मालाबार युद्धाभ्यास के रणनीतिक निहितार्थ की चर्चा कीजिये।
11. भारत-जापान के हित अफ्रीका के विकास से किस प्रकार अंतर्संबंधित हैं? स्पष्ट कीजिये।
12. भारत-जापान असैन्य परमाणु समझौते से भारत को होने वाले लाभों की चर्चा करें।
13. अफ्रीका में भारत की बढ़ती रुचि के सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्ष हैं। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये।
14. भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच राजनीतिक और आर्थिक संबंधों के प्रमुख अभिलक्षण क्या हैं?
15. शीतयुद्ध के बाद भारत-अफ्रीका के संबंधों में आए बदलाव को रेखांकित कीजिये।
16. भारत की अफ्रीका नीति को स्पष्ट कीजिये एवं इससे उत्पन्न पारस्परिक सहयोग के क्षेत्र का विश्लेषण कीजिये।

17. भारत अफ्रीका के लिये महत्त्वपूर्ण है। टिप्पणी कीजिये।
18. अफ्रीकी विकास बैंक अफ्रीका एवं भारत के विकास में कैसे सहायक है? एशिया-अफ्रीका विकास कॉरिडोर इसके विकास में किस प्रकार उपयोगी सिद्ध होगा? स्पष्ट कीजिये।
19. भारत-फ्राँस मैत्री को बढ़ावा देने के भारत के राजनयिक प्रयासों पर हाल की फ्राँसीसी अनुक्रिया का विश्लेषण कीजिये।
20. भारत-फ्राँस के संबंधों के सामरिक आयामों को स्पष्ट कीजिये।
21. वैश्वीकरण के युग में भारत-फ्राँस के द्विपक्षीय संबंध कहाँ तक सकारात्मक प्रभाव प्रदर्शित करते हैं? परीक्षण कीजिये।
22. भारत-ब्रिटेन के बीच आर्थिक संबंधों को स्पष्ट करें। ब्रिटेन द्वारा भारत को आर्थिक मदद बंद करने संबंधी नीति की चर्चा कीजिये।
23. भारत-ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर प्रकाश डालें।
24. वर्तमान में ब्रिटेन भारत के लिये लाभकारी है या हानिकारक? टिप्पणी कीजिये।
25. "वर्तमान में हुए बौद्धिक संपदा अधिकार समझौता, भारत और ब्रिटेन को नज़दीक लाने में सहायक है।" टिप्पणी कीजिये।
26. भारत-ब्राज़ील के द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तन को देखते हुए भारत के हित को रेखांकित कीजिये।
27. "ब्राज़ील की नई अमेरिका-परस्त सरकार ब्राज़ील को अमेरिका के करीब ले जा रही है।" टिप्पणी कीजिये।
28. भारत-ब्राज़ील के द्विपक्षीय संबंधों में कृषि के क्षेत्र में भारत के हितकारी तत्त्वों का उल्लेख करते हुए विश्लेषण कीजिये।
29. हिंद महासागर के द्वीपीय देश भारत के लिये रणनीतिक व आर्थिक रूप से बेहद महत्त्वपूर्ण हैं, मालदीव के विशेष संदर्भ में टिप्पणी कीजिये।
30. भारत-मालदीव के संबंध में चीन की 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' नीति बाधक है। कैसे? टिप्पणी कीजिये।
31. हाल के वर्षों में भारत-मालदीव के संबंधों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। आपकी दृष्टि से इसके क्या कारण हैं एवं इसके लिये (संबंध सुधार के लिये) क्या-क्या प्रयास किये जाने चाहियें?
32. "मालदीव में लोकतंत्र का क्षरण हिंद महासागर में भारतीय हितों के विरुद्ध हो सकता है।" क्या आप सहमत हैं? तर्कसहित कारण दें।
33. 'सार्क उपग्रह' भारत-मालदीव के संबंधों हेतु मील का पत्थर साबित हो सकता है। भारत के 'पड़ोसी प्रथम' की नीति को ध्यान में रखते हुए टिप्पणी करें।

अध्याय
7

भारत-क्षेत्रीय तथा वैश्विक समूह (India-Regional and Global Groups)

जब किसी देश की सफल विदेश नीति की कसौटी, उसके पड़ोसी देशों से संबंध होने लगे हैं तो ऐसी हालत में भारत जैसी उभरती हुई शक्ति के लिये यह और भी ज़्यादा आवश्यक हो जाता है कि वह पड़ोसी देशों को प्राथमिकता प्रदान करे। साथ ही वह वैश्विक शक्तियों पर भी अपनी पकड़ को मज़बूत बनाए।

इस दिशा में पहली बार पं. नेहरू ने एशिया एवं अफ्रीका के संबंधों को सुदृढ़ करने की नीति पर बल दिया था। भारत द्वारा गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाने के साथ ही उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों को भी अपनाया गया। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 'लुक ईस्ट पॉलिसी' से आगे बढ़ते हुए 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' का नारा दिया गया, जिसका विभिन्न पड़ोसी देशों द्वारा स्वागत भी किया गया।

7.1 क्षेत्रीयकरण की प्रवृत्ति और क्षेत्रीय संगठनों का उभरना *(Tendency of Regionalization and Emergence of Regional Organizations)*

जब कभी भी एकीकरण की प्रक्रिया की बात की जाती है तो सामान्यतया पारस्परिक हितों व उत्तरदायित्वों को सम्मान दिया जाता है। सामाजिक व राजनीतिक दोनों ही स्तरों पर मानवीय संबंधों को वरीयता देना अपेक्षित होता है।

संघर्ष प्राय: विकास कार्यों को अवरुद्ध कर देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप जनसाधारण की निर्धनता बढ़ती जाती है। इसीलिये संघर्ष का उपचार है सहयोग। किसी भी क्षेत्र में राष्ट्रों के मध्य तनाव और संघर्ष को कम करने तथा सहयोग को प्रोत्साहन देने में क्षेत्रीय संगठन सहायक होते हैं। क्षेत्रीय एकीकरण की प्रक्रिया को क्षेत्रीय सहयोग संगठनों के रूप में मान्यता प्राप्त होती है।

क्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देने वाले कारक हैं– भौगोलिक स्थिति, जाति, भाषा, धर्म, सभ्यता और ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक समानताएँ। देशों के मध्य जितना अधिक पारस्परिक मेल-जोल और आदान-प्रदान होगा, सामूहिक प्रयासों की सफलता की संभावनाएँ भी उतनी ही अधिक होंगी।

भले ही उपर्युक्त तत्त्व बहुत प्राचीन हों परंतु क्षेत्रीय, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सहयोग की अवधारणा का विकास पिछले कुछ दशकों में हुआ है। पहली बार दक्षिण एशिया में सन् 1977 में तत्कालीन बांग्लादेशी राष्ट्रपति जिया-उर-रहमान ने एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन का विचार प्रस्तुत किया था, परंतु उससे भी पहले विश्व के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय संगठनों की स्थापना हो चुकी थी और वे सफलतापूर्वक कार्य कर रहे थे। इनमें कुछ प्रमुख इस प्रकार थे– सन् 1945 में स्थापित अरब लीग, सन् 1948 में स्थापित अमेरिकी राज्यों का संगठन (Organization of American States – OAS) और सन् 1967 में स्थापित दक्षिण-पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन (ASEAN) इत्यादि।

संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद-52 में क्षेत्रीय संगठनों का प्रावधान है। इसमें प्रावधान किया गया है कि "ऐसी क्षेत्रीय व्यवस्थाएँ या एजेंसियाँ स्थापित की जा सकती हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की दृष्टि से सुसंगत हों एवं क्षेत्रीय कार्यविधि के मानदंडों को पूरा करती हों।" यह भी व्यवस्था है कि क्षेत्रीय संगठनों को संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों और सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिये। द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् स्थापित कुछ क्षेत्रीय संगठन सैनिक संधियों के रूप में थे। इनमें उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (North Atlantic Treaty Organization – NATO), दक्षिण-पूर्व एशिया संधि संगठन (SEATO)], ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका सुरक्षा संधि (ANZUS) तथा वारसा समझौता (Warsaw Pact) शामिल हैं।

इन रक्षात्मक संधि संगठनों के अतिरिक्त कई क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग संगठन भी स्थापित किये गए। सार्क (SAARC) ऐसे ही संगठनों में से एक है।

अध्याय
8

संयुक्त राष्ट्र संघ
(United Nations Organization)

संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। विश्व स्तर पर इस तरह का अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने का यह दूसरा प्रयास था। इसके पहले प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद युद्ध एवं हिंसा को रोकने के लिये राष्ट्र संघ (League of Nations) की स्थापना की गई थी, लेकिन यह संगठन युद्ध रोकने में सफल नहीं हो सका था। द्वितीय विश्वयुद्ध की विभीषिका को देखते हुए युद्ध के दौरान ही विश्व के प्रमुख नेताओं ने एक ऐसा संगठन बनाने पर विचार करना शुरू कर दिया था जो भावी पीढ़ी को युद्ध की विभीषिका से बचाए, साथ ही विश्व में शांति भंग करने के प्रयासों को रोक सके। इसे देखते हुए द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद 51 देशों द्वारा 24 अक्टूबर, 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। ये देश अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने, राष्ट्रों के बीच मित्रतापूर्ण संबंध विकसित करने, सामाजिक प्रगति, बेहतर जीवन-स्तर की प्राप्ति तथा मानवाधिकारों को प्रोत्साहित करने के प्रति प्रतिबद्ध थे।

8.1 संयुक्त राष्ट्र संघः संरचना एवं संगठन *(United Nations Organizations: Structure and Organization)*

संयुक्त राष्ट्र संघ का इतिहास *(History of the United Nation)*

संयुक्त राष्ट्र शब्द अमेरिका के राष्ट्रपति रूज़वेल्ट द्वारा दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र शब्द का प्रयोग पहली बार द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान 1 जनवरी, 1942 को संयुक्त राष्ट्र घोषणा-पत्र (Declaration by the United Nation) में किया गया था। उसी समय 26 देशों के प्रतिनिधियों ने अपनी सरकारों की तरफ से धुरी-राष्ट्रों के विरुद्ध लड़ने का संकल्प व्यक्त किया था। संयुक्त राष्ट्र के पूर्ववर्ती राष्ट्र संघ (League of Nations) का गठन भी इन्हीं परिस्थितियों में प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान 1919 की वर्साय की संधि (Treaty of Versailles) के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, शांति एवं सुरक्षा की प्राप्ति के लिये किया गया, लेकिन द्वितीय विश्वयुद्ध को रोक सकने में अपनी अक्षमता के कारण राष्ट्र संघ अपनी प्रासंगिकता तथा वैधता खो बैठा। 1945 में 50 देशों के प्रतिनिधि सैन फ्रांसिस्को के अंतर्राष्ट्रीय संगठन संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (United Nation Conference on International Organization) में संयुक्त राष्ट्र चार्टर तैयार करने के लिये मिले। इन प्रतिनिधियों ने चीन, सोवियत संघ, ब्रिटेन तथा अमेरिका के प्रतिनिधियों द्वारा अमेरिका के डमबार्टन ऑक्स (Dumbarton Oaks) में अक्टूबर 1944 में तैयार किये गए प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया। 26 जून, 1945 को चार्टर पर 50 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किया गया। पोलैंड ने इस सम्मेलन में भागीदारी नहीं की थी, लेकिन उसने बाद में इस पर हस्ताक्षर किया और 51वाँ प्रारंभिक सदस्य बना। आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र 24 अक्टूबर, 1945 को अस्तित्व में आया। इसके अस्तित्व में आने से पहले चीन, फ्राँस, सोवियत संघ, ब्रिटेन, अमेरिका तथा बहुसंख्यक हस्ताक्षरकर्त्ता देशों द्वारा इसकी अभिपुष्टि की गई। प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस (United Nations Day) मनाया जाता है।

अधिदेश *(Mandate)*

अपनी अद्वितीय विशेषताओं तथा चार्टर में निहित इसकी शक्तियों के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ कई मुद्दों पर कार्रवाई कर सकता है। यह संगठन विश्व के 193 देशों का अपने विचार व्यक्त करने का मंच है। ये देश अपने विचार महासभा (General Assembly), सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद तथा अन्य संस्थाओं एवं समितियों के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के कार्य विश्व के सभी भागों को प्रभावित करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ को शांति रक्षण (Peace Keeping), शांति निर्माण (Peace Building), संघर्ष रोकथाम (Conflict Prevention) तथा मानवीय सहायता के लिये जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ एवं इसकी विशिष्ट एजेंसियाँ, कार्यक्रम एवं कोष हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं तथा विश्व

अध्याय 9

भारत से संबंधित और भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार (Agreements Involving India and Affecting India's Interests)

अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्यों के मध्य राजनीतिक, रणनीतिक, कूटनीतिक, व्यापारिक एवं अन्य सामरिक संबंध समय, परिस्थिति एवं मांग के अनुसार सुनिश्चित किये जाते हैं राज्यों या देशों के बीच संबंधों का दायरा कभी-कभी द्विपक्षीय होता तो कभी बहुपक्षीय होता है। विभिन्न देशों द्वारा संबंध सुनिश्चित करने के केंद्र में राष्ट्रीय हित प्रमुख होता है उदाहरण के तौर पर भारत का अन्य देशों के साथ संबंधों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के करार एवं समझौते होते हैं जो राष्ट्रीय हित से संबंधित होते हैं। करार एवं समझौते या तो भारत से संबंधित होते हैं या वे भारत के हितों को प्रभावित करते हैं। इससे संबंधित विभिन्न देशों के साथ किये गए करार के संदर्भ में चर्चा इस प्रकार है-

9.1 राजनीतिक, रणनीतिक एवं सांस्कृतिक करार *(Political, Strategic and Cultural Agreement)*

भारत एवं मॉरीशस के बीच समुद्री सुरक्षा संबंधी समझौता *(Agreement Related with Meritime Security Between India and Mauritius)*

- मई 2017 में भारत एवं मॉरीशस के बीच प्रोजेक्ट अगालेगा के ढाँचे के अंतर्गत समुद्री सुरक्षा पर समझौता हुआ।
- अगालेगा द्वीप हिंद महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीप है जो मॉरीशस के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वास्तव में इसमें दो द्वीप आते है; उत्तरी द्वीप (जो कि मुख्य द्वीप है) तथा दक्षिण द्वीप। यह मॉरीशस के उत्तर में 1122 किमी. की दूरी पर स्थित हैं। यहाँ की आबादी मात्र 300 है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्च 2015 में मॉरीशस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच अगालेगा द्वीप के विकास लिये एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था।
- यह समझौता समुद्र और वायु कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और बढ़ाने के लिये बुनियादी ढाँचे की स्थापना और उन्नयन हेतु तथा द्वीप के बाहरी क्षेत्रों में आपसी हितों की सुरक्षा में मॉरीशस रक्षा बलों की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है।
- इस समझौते के तहत एक एयरपोर्ट टर्मिनल के निर्माण एवं इसके रनवे के विस्तार एवं नवीनीकरण हेतु भारत लगभग 87 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद करेगा।

भारतीय प्रधानमंत्री की रूस यात्रा के दौरान समझौते *(Agreement During Visit to Russia of Indian Prime Minister)*

- 1 जून, 2017 को भारतीय प्रधानमंत्री की रूस यात्रा के दौरान विभिन्न समझौतो पर हस्ताक्षर किया गया
- क्रेडिट प्रोटोकॉल के साथ कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र (KK5 – KK6) के तीसरे चरण के निर्माण के लिये जनरल एग्रीमेंट
    - इस समझौते के तहत रिएक्टरों का निर्माण भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड (NPCIL) और रूस के परमाणु संस्थानों की नियामक इकाई रोसाटॉम की सहायक कंपनी एस्ट्रोम्स्ट्रॉयेएक्सपोर्ट के द्वारा किया जाएगा।
    - कुडनकुलम की पाँचवीं और छठी इकाई के निर्माण पर 50 हजार करोड़ रुपए की लागत आएगी जिसमें से आधी राशि रूस कर्ज के रूप में उपलब्ध कराएगी। ध्यातव्य है कि इस परियोजना की एक और दो इकाई शुरू हो चुकी है तथा तीन और चार के 2022-23 तक चालू हो जाने की उम्मीद है।

अध्याय
10

प्रवासी भारतीय (Indian Diaspora)

ऐतिहासिक रूप से स्पष्ट होता है कि ब्रिटिश, फ्राँसीसी एवं डच उपनिवेशों में दासता (Slavery) की समाप्ति के साथ बड़ी संख्या में भारतीय विश्व के विभिन्न भागों में प्रवास कर गए। एशिया, अफ्रीका, कैरीबियन देशों में श्रमिकों को बागवानी, खनन (Mining) के लिये अनुबंधित श्रम (Indentured Labour) के तहत ले जाया गया। इसके अलावा व्यापारी एवं पेशेवर भी दूसरे देशों में चले गए। उपनिवेशवाद के कारण कुछ भारतीय ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा एवं ऑस्ट्रेलिया में भी बस गए। अमेरिकी कॉन्ग्रेस द्वारा 1946 में बनाए गए अधिनियम से कुछ भारतीयों को अमेरिकी नागरिकता भी प्राप्त हो गई। द्वितीय विश्वयुद्ध के कारण श्रमिकों की संख्या में आई गिरावट की वजह से कुछ भारतीयों को ब्रिटेन ले जाया गया। भारत में आर्थिक विकास की दर बढ़ने तथा सूचना तकनीकी जैसे क्षेत्रों का विस्तार होने से प्रवासन को बढ़ावा मिला है। बड़ी संख्या में छात्र अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया में अध्ययन हेतु जाते हैं और कई तो अध्ययनोपरांत वहीं बस जाते हैं।

10.1 आप्रवासी भारतीय और उनकी वैश्विक उपस्थिति *(Non-Resident Indian and Their Global Presence)*

विश्व के विभिन्न देशों में 3 करोड़ से अधिक भारतीय रहते हैं। इनकी दो श्रेणियाँ हैं। पहली श्रेणी उन लोगों की है जो ब्रिटिश शासन के दौरान कल-कारखानों, बाग-बगीचों, खानों (Mining) आदि में कार्य करने के लिये ले जाए गए थे। अफ्रीका, फिजी आदि देशों में ले जाए गए लोग इसी श्रेणी के हैं। इन्हें सामान्य तौर पर भारतीय मूल के लोग (People of Indian Origin–PIO) कहा जाता है। दूसरी श्रेणी उन लोगों की है जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये विदेशों में गए। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, कनाडा या ब्रिटेन गए ज़्यादातर लोग इसी श्रेणी में शामिल हैं। इन्हें आप्रवासी भारतीय (Non-Resident Indian – NRI) कहा जाता है। इन दोनों तरह के लोगों का भारत से संबंध है, लेकिन जहाँ पहली श्रेणी के लोगों का भारत के साथ भावनात्मक जुड़ाव (Emotional Attachment) है, वहीं दूसरी श्रेणी के लोगों को संयुक्त रूप से प्रवासी भारतीय के रूप में जाना जाता है। आज़ादी के समय और आज के समय को यदि देखा जाए तो भारत के प्रति इनकी भूमिका और योगदान में महत्त्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलता है। 1950 के दशक में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि "प्रवासी भारतीय उसी देश के हो जाएँ जिस देश में वे रहते हैं।" 1999 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में गठित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (National Democratic Alliance) की सरकार ने प्रवासी भारतीयों के मसलों पर विचार करने के लिये डॉ. लक्ष्मीमल सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। इस समिति की सिफारिश पर प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का फैसला किया गया। 2003 से निरंतर प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इसमें भारतीय मूल के प्रमुख लोगों एवं प्रवासी भारतीयों को सम्मानित किया जाता है।

उल्लेखनीय है कि प्रवासी भारतीय विदेश नीति के निर्धारण एवं अन्य देशों के साथ भारत के संबंध निर्धारित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करने लगे हैं। प्रवासी भारतीयों ने एक महत्त्वपूर्ण समूह का रूप धारण कर लिया है। उदाहरणस्वरूप अमेरिका में बसे भारतीय काफी संगठित हैं। भारत के प्रति अमेरिकी दृष्टिकोण में बदलाव लाने में उन्होंने महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है।

उदारीकरण के फलस्वरूप प्रवासियों की संख्या तेज़ी से बढ़ी है। इंस्टीट्यूट ऑफ माइग्रेशन स्टडीज़ (Institute of Migration Studies) के अनुसार, वर्तमान समय में विश्वभर में अभी लगभग 30 करोड़ प्रवासी कार्य कर रहे हैं। विश्व का ध्यान प्रवासी लोगों की तरफ तब गया, जब पश्चिम एशिया संबंधी अमेरिकी नीति को बदलवाने में अमेरिका में रह रहे यहूदी प्रवासियों (Jewish Diaspora) तथा चीन के तीव्र गति से आर्थिक विकास करने में चीनी प्रवासियों की महत्त्वपूर्ण भूमिका देखी गई। इससे विश्व के देशों को प्रवासियों के महत्त्व का पता चला।

अध्याय
11

महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएँ और मंच–उनकी संरचना, अधिदेश (Important International Institutions, Agencies and Forum–their Structure, Mandate)

अंतर्राष्ट्रीय संगठन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसी अधिरचना है जिसमें औपचारिक रूप से तीन या तीन से अधिक राज्य सम्मिलित होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को कभी-कभी अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन (International Governmental Organization-IGO's) भी कहा जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठनों (International Non-Governmental Organization–INGOs) से अलग होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की पहचान उन नियमों से होती है जो सदस्य देशों के बीच संबंधों का विनियमन करते हैं, साथ ही उन औपचारिक संरचनाओं से भी होती है जो इन नियमों को लागू एवं प्रवर्तित करते हैं। यद्यपि, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को साधन तंत्र या कर्त्ता (Instrument arenas or actors) के रूप में देखा जा सकता है। तंत्र के रूप में ये ऐसी व्यवस्थाएँ हैं जिनके माध्यम से राज्य स्वयं अपने हितों की पूर्ति करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन विचार-विमर्श एवं सूचना विनिमय की सुविधा प्रदान करते हैं। सम्मेलन कूटनीति के लिये यह स्थायी संस्था के रूप में कार्य करते हैं। कर्त्ता के रूप में वे राज्यों को समन्वित कदम उठाने में सक्षम बनाते हैं। विशेषकर 1945 के बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की संख्या एवं महत्ता में वृद्धि विश्व राजनीति की एक महत्त्वपूर्ण घटना रही है। इनमें से कुछ संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे उच्चस्तरीय निकाय भी शामिल हैं जबकि अन्य छोटे निकाय हैं जो अपने क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने राज्यों के बीच उत्पन्न समस्याओं को सहयोगात्मक तरीके से सुलझाने का साधन उपलब्ध कराकर परंपरागत शक्ति राजनीति में सुधार किया है। हालाँकि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी की शुरुआत से ही हो गई थी, लेकिन द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद इनकी संख्या तेज़ी से बढ़ी। इससे राज्यों के बीच शक्ति राजनीति, आर्थिक संकट, मानवाधिकारों का उल्लंघन विकासजनित असमानता तथा पर्यावरण ह्रास (Environmental Degradation) के संबंध में बढ़ती अंतर्निर्भरता संबंधी जागरूकता का पता चलता है।

राष्ट्रमंडल राष्ट्र *(Commonwealth of Nations)*

यह उन 53 संप्रभु देशों का स्वैच्छिक संगठन है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य/उपनिवेश के अधीन थे। इस संगठन का मुख्यालय लंदन में है। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। इस संगठन का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच लोकतंत्र और विकास के मुद्दे पर सहयोग की भावना स्थापित करना है। इस संगठन के अंतर्गत शामिल राष्ट्रों में 2.4 बिलियन लोग निवास करते हैं। इसमें अनेक धर्मों एवं जाति के लोग शामिल हैं। इसमें बड़े-छोटे, अमीर-गरीब, विकसित-विकासशील सभी तरह के देश शामिल हैं। इसमें अफ्रीका के 19, एशिया के 7, अमेरिका के 3, कैरीबियाई के 10 तथा यूरोप के 3 एवं दक्षिण प्रशांत क्षेत्र के 11 देश सम्मिलित हैं। 2009 में रवांडा राष्ट्रमंडल का सदस्य बना, जबकि मोज़ांबिक (Mozambique) एवं कैमरून (Comeroon) दो ऐसे सदस्य बनने वाले देश हैं जिनका इस संगठन के साथ किसी तरह का ऐतिहासिक या प्रशासनिक जुड़ाव नहीं रहा है। 1949 में सदस्य देशों के प्रधानमंत्रियों ने लंदन घोषणा-पत्र (London Declaration) को अपनाया। इसमें इस बात का उल्लेख किया गया था कि सभी सदस्य देश स्वतंत्र एवं समान रूप से जुड़े हुए हैं। कॉमनवेल्थ की यह मान्यता है कि सबसे अच्छे लोकतंत्र की प्राप्ति सहभागिता (Partnership) के द्वारा हो सकती है। यह सहभागिता सरकार, व्यापारी समूहों एवं नागरिक समाज के बीच होनी चाहिये। इतिहास, भाषा एवं संस्थाओं के अलावा सदस्य देश लोकतंत्र, स्वतंत्रता, शांति, विधि का शासन एवं सभी के लिये अवसर जैसे संगठन के मूल्यों से भी जुड़े हुए हैं।

कॉमनवेल्थ के सदस्य देश सहयोग, सहभागिता एवं आपसी समझ की भावना से कार्य करते हैं। कॉमनवेल्थ की प्रभावशीलता के लिये खुलापन एवं लचीलापन प्रमुख उत्तरदायी तत्त्व रहे हैं। समानता पर बल देने के कारण इस संगठन ने विउपनिवेशीकरण, नृजातीय भावना को समाप्त करने तथा सतत् विकास को बढ़ावा देने में बड़ी भूमिका निभाई है। प्रत्येक वर्ष मार्च के दूसरे सोमवार को कॉमनवेल्थ दिवस मनाया जाता है।

अध्याय 12

क्षेत्रीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के समसामयिक घटनाक्रम (Current Affairs of Regional, Provincial, National and International Importance)

उत्तर प्रदेश के नवीन पाठ्यक्रम के अंतर्गत क्षेत्रीय प्रांतीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के कुछ प्रमुख समसामयिक घटनाक्रम को शामिल किया गया है-

12.1 राष्ट्रीय घटनाक्रम *(National Events)*

गवाह सुरक्षा योजना *(Witness Security Scheme)*

दिसंबर 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार की गवाह सुरक्षा योजना 2018 के मसौदे को मंज़ूरी प्रदान कर दी। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार द्वारा गवाह सुरक्षा कानून बनाए जाने तक राज्यों को इस योजना के क्रियान्वयन के लिये निर्देश भी दिये हैं। इससे संबंधित प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं-

- मसौदा गवाह सुरक्षा योजना को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) और ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (बीपीआरडी) के परामर्श से अंतिम रूप दिया गया है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों को एक वर्ष के भीतर Vulnerable Witness Deposition Complex (VWDC) स्थापित करने का निर्देश दिया है।

मसौदा गवाह सुरक्षा योजना की प्रमुख विशेषताएँ

- इस योजना द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि अन्वेषण या मुकदमे के ट्रायल के दौरान गवाह और आरोपी आमने-सामने न आएँ। मसौदा योजना के तहत गवाहों की सुरक्षा के लिये पर्याप्त सुरक्षा उपाय किये गए हैं।
- इस योजना के तहत आवश्यकता पड़ने पर गवाहों को नई पहचान प्रदान की जाएगी। यह योजना जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू होगी।

योजना के तहत गवाहों की निम्नलिखित तीन श्रेणियाँ बनाई गई हैं-

- गवाह अथवा उसके परिवार के जीवन को खतरा;
- गवाह की सुरक्षा, संपत्ति, परिवार के सदस्यों इत्यादि को खतरा;
- गवाह की सुरक्षा, संपत्ति, परिवार के सदस्यों इत्यादि को मध्यम स्तर का खतरा।

इन श्रेणियों के गवाह ज़िले के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष सुरक्षा के लिये आवेदन कर सकते हैं। ये सक्षम प्राधिकारी ज़िला व सत्र न्यायाधीश हो सकते हैं।

इस योजना के तहत राज्यों के गृह मंत्रालय, केंद्रशासित प्रदेशों के सक्षम प्राधिकारी, गवाह सुरक्षा सेल के अधिकारी, एसएचओ, एसएसपी और दोनों पक्षों के वकीलों समेत अन्य सभी संबंधित अधिकारी गवाहों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूर्ण गोपनीयता बनाए रखेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी परिस्थिति में, कोई अभिलेख, दस्तावेज़ या सूचना, संबंधित न्यायालय अथवा अपीलीय न्यायालय के लिखित आदेश को छोड़कर अन्य किसी भी तरीके से साझा नहीं की जाएगी। इस योजना के तहत कार्यवाही से संबंधित सभी अभिलेख तब तक संरक्षित किये जाएंगे जब तक संबंधित मुकदमा अपीलीय न्यायालय के समक्ष लंबित हो।

आंध्र प्रदेश का पृथक् उच्च न्यायालय *(Separate High Court of Andhra Pradesh)*

नवंबर में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के लिये पृथक् उच्च न्यायालय का गठन करने की अनुमति दी गई।

डी.एल.पी. बुकलेट्स की विशेषताएँ

- आयोग के नवीनतम पैटर्न पर आधारित अध्ययन सामग्री।
- पैराग्राफ, बुलेट फॉर्म, सारणी, फ्लोचार्ट तथा मानचित्र का उपयुक्त समावेश।
- विषयवस्तु की सरलता, प्रामाणिकता तथा परीक्षा की दृष्टि से उपयोगिता पर विशेष ध्यान।
- क्विक रिवीजन हेतु प्रत्येक अध्याय में महत्त्वपूर्ण तथ्यों का संकलन।
- प्रत्येक अध्याय के अंत में विगत वर्षों में पूछे गए एवं संभावित प्रश्नों का समावेश।

Website : www.drishtiIAS.com
E-mail : online@groupdrishti.com

DrishtiIAS
YouTube Drishti IAS
drishtiias
drishtithevisionfoundation

641, First Floor, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009
Phones : 011-47532596, +91-8130392354, 813039235456